न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4244–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 139/अपील/2013–14.

श्रीमती प्रेमबाई पति चन्दर भील
निवासी ग्राम रेवतीरेंज, सांवेर जिला इन्दौर
तर्फे आम मुख्तयार
शैलेन्द्र पिता मनोहर
निवासी ग्राम रेवतीरेंज, सांवेर जिला इन्दौर ....आवेदिका

विरूद्ध

1– गोपी पिता पुनाजी भील
निवासी हातोद जिला इन्दौर
2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर ....अनावेदकगण

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अजय कुमार जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/5/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चान्देर तहसील देपालपुर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 725 रकबा 1.771 हेक्टेयर व सर्वे कमांक 727 रकबा 1.222 हेक्टेयर उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि में से सर्वे कमांक 725/2 रकबा 0.802 एवं सर्वे कमांक 727 रकबा 1.222 हेक्टेयर पर आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 1 से छल–कपट कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, और आवेदिका भील जाति की नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय देपालपुर के समक्ष वाद विचाराधीन होकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, इसके बावजूद भी राजस्व अभिलेखों में हेरा–फेरी की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि से आवेदिका का नाम कम किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–23/2011–12 दर्ज कर दिनांक 15–11–2012 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का विकय पंजीयन संव्यवहार निरस्त किया जाकर आवेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम कर मूल भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–12–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका वास्तव में भील जाति की सदस्य है, और भील जाति में कई गोत्र होते हैं, जिनसे उनको सम्बोधित किया जाता है । अतः केवल गोत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदिका को भील जनजाति का नहीं मानने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–11–2014 को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, परन्तु आवेदिका का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जबकि वास्तव में आवेदिका द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है, और यदि अनुविभागीय अधिकारी आवेदिका को अवसर देते तब जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी

प्रस्तुत की जाती । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 22–6–2009 को निष्पादित किया गया है, जिसमें आवेदिका की जाति भील उल्लिखित की गई है, और उसके खण्डन में अनावेदक कमांक 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदिका भील जाति की नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार नहीं था, परन्तु उनके द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि आवेदिका रेवती में निवास नहीं करती है, जबकि आवेदिका का निवास रेवती में ही है, और जिस समय उसे सूचना पत्र तामीली कराने हेतु भेजा गया था, तब वह शादी में बाहर गई थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदिका भील जाति की आदिवासी महिला है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 170 (ख) इस प्रकरण में लागू नहीं होती है, क्योंकि आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 1 दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, किन्तु इस वैधानिक स्थिति पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय के समक्ष भेजा गया था, और तहसील न्यायालय द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से सूचना जारी की गई है, जबकि आवेदिका अनपढ़ महिला है, और वह समाचार पत्र नहीं पढ़ती है । इस प्रकार आवेदिका पर त्रुटिपूर्ण ढंग से तामीली कराई जाकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदिका को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका द्वारा अपने स्वयं का निवास स्थान ग्राम रेवती बताया गया है, जबकि सरपंच, ग्राम पंचायत गारी पिपल्या द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसकी जाति मेवाड़ा भील बताई जाकर उसका निवास स्थान गारी पिपल्या बताया गया है ।

(2) अपर आयुक्त के समक्ष आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदिका को ग्राम रूद्राख्या की निवासी बताया गया है, और जाति मेवाड़ा भील अंकित की गई है । संहिता की धारा 165 (6) में दी गई सूची में मेवाड़ा भील अनुसूचित जनजाति में उल्लिखित नहीं है । अगर यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, तब भी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में छल–कपट एवं धोखाधड़ी से हुए संव्यवहार की जॉच करने का अधिकार संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकार को प्राप्त है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत जॉच की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 निर्विवादित रूप से अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । यद्यपि विकय पत्र में आवेदिका द्वारा स्वयं को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उप पंजीयक से प्रतिवेदन मंगाया गया है, जिसमें उप पंजीयक द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, और न ही स्वयं को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना प्रमाणित किया गया है ।

(5) आवेदिका द्वारा विरोधाभाषी कथन करने से स्पष्ट है कि उसके द्वारा धोखाधड़ी एवं छल–कपट कर विकय पत्र निष्पादित कराया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मौके पर जॉच कराई जाकर पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन कर आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2003 आर.एन. 434 (उच्च न्यायालय) एवं 2003 (1) एस.सी.सी. 692 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच उपरांत विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश के पालन में नायब तहसीलदार द्वारा पृथक से प्रकरण कमांक 346/बी–121/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्थानीय समाचार पत्र में जाहिर सूचना जारी की गई । साथ ही राजस्व निरीक्षक को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, और राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन भूमियों पर मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति गारी निवासी बेगन्दा द्वारा कृषि कार्य करना पाया गया । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा इसी आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में मोहन पिता जगन्नाथ जाति गारी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, और इसके पूर्व प्रश्नाधीन भूमि पड़त रही है । जहां तक आवेदिका प्रेमबाई की जाति का प्रश्न है, इस संबंध में ग्राम रेवती की तहसील से सत्यापन कराया जाये । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका को सूचना पत्र जारी किया गया, जिस पर इस आशय की टीप अंकित होकर सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम रेवती में निवास नहीं करता है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रेवती से जानकारी लेने पर ग्राम पचायत द्वारा अपने पत्र दिनांक 18–8–2012 से अवगत कराया गया कि श्रीमती प्रेमबाई पति चन्दर भील नाम की कोई भी महिला ग्राम रेवती में निवास नहीं करती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उप पंजीयक, इन्दौर से भी आवेदिका की जाति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई । उप पंजीयक द्वारा पत्र कमांक 166/मु.उप पं. दिनांक 27–9–12 से अवगत कराया गया कि यदि केता की जाति आदिवासी प्रमाणित नहीं हो तो विकय पत्र शून्यवत है एवं

क्रेता द्वारा विक्रेता को दिया गया प्रतिफल एवं शासन को दिया गया स्टाम्प शुल्क भी बेकार होगा, इसलिए सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि क्रेता द्वारा अपनी सही जाति का उल्लेख किया गया है, और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं है । अर्थात आवेदिका प्रेमबाई द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के समय अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्य ली गई है, जिसमें यह प्रमाणित हुआ है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के मध्य हुआ संव्यवहार कपटपूर्ण है । इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि आवेदिका द्वारा विक्रय पत्र में अपने आपको ग्राम रेवती का निवासी बताकर जाति भील अंकित की गई है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत गारी पिपल्या द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदिका को ग्राम गारी पिपल्या का निवासी बताते हुए उसकी जाति मेवाड़ा भील बताई गई है, और आवेदिका की ओर से इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है, इसमें आवेदिका को ग्राम रूद्राख्या का निवासी बताकर भील जाति का उल्लेख किया गया है । अर्थात आवेदिका की ओर से समय–समय पर अपने को पृथक–पृथक ग्राम का निवासी एवं पृथक–पृथक जाति का होना बतलाया गया है, जो कि पूर्णतः संदिग्ध कार्यवाही प्रतीत होकर प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में हुए संव्यवहार को षणयंत्रपर्वक एवं कपटपूर्ण होना स्पष्ट करती है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच करने पर स्पष्टतः यह पाया गया है कि आवेदिका सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा कपटपूर्वक एवं षड़यंत्र कर अनावेदक की भूमि हड़पने की कोशिश की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पंजीयन संव्यवहार संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदिका का नाम कम कर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज करने का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश की वैधानिकता को न्याय दृष्टांत 1997 आर.एन. 273 बसिया विरूद्ध घोलिया तथा अन्य से बल प्राप्त होता है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि गैर जनजाति के सदस्य के फायदे के लिए सम्पत्ति बेनामी क्रय की गई ऐसा संव्यवहार कपट पर आधारित है । जहां तक आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 170 (ख) लागू नहीं होती है, और अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 170 के अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था । इस सम्बन्ध में अपर

आयुक्त द्वारा 2003, आर.एन. 434 व 135 एवं 1997 आर.एन. 273 के न्याय दृष्टांतों को उल्लेख करते हुए, उनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत जनजाति के सदस्य होने पर भी छल कपटपूर्ण हुए संव्यवहार की जांच करने का पूर्ण अधिकार संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 2003 आर.एन. 434 प्रेमा विरूद्ध गलिया तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "अनु. 227–तीन निचले न्यायालयों के तथ्य ह विषयक समवर्ती निष्कर्ष–साक्ष्य पर आधारित कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी । दर्शित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2012 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर